रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11092020-221686
CG-DL-W-11092020-221686

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, अगस्त 30—सितम्बर 5, 2020, शनिवार /भाद्र 8 —भाद्र 14, 1942
No. 27] NEW DELHI, AUGUST 30—SEPTEMBER 5, 2020, SATURDAY/BHADRA 8— BHADRA 14, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 125 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, (वर्ग-III अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1968 को जहां तक उसका संबंध वरिष्ठ मूर्तिकार के पदों से है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 में जहां तक उसका संबंध परियोजना मूर्तिकार पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने

का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, वरिष्ठ मूर्तिकार और परियोजना मूर्तिकार, के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वरिष्ठ मूर्तिकार और परियोजना मूर्तिकार (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में **स्तर** वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि** .—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**:- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर के इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वरिष्ठ मूर्तिकार	4* (2020) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 6 (35400-112400 रु.)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशो के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:** आयु-सीमा के अवधारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग मैट्रिक्स विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धति से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ललित कला (मूर्तिकला) में स्नातक वांछनीय: केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार विभाग में रूपण अथवा मूर्तिकला में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1.** अर्हताएं अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2.** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों इत्यादि से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव से संबंधित अहर्ता, लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार चयन के किसी स्तर पर यदि कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी का विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों की उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, शिथिल की जा सकती है।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: नहीं	दो वर्ष	75% सीधी भर्ती द्वारा 25% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति - वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) के स्तर -4 में मूर्तिकार ग्रेड II जिन्होंने इस ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो और मूर्तिकला में दो से चार सप्ताह की अवधि का सेवा कालिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – अध्यक्ष (2) संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य, (3) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य; और (4) उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी और स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: क (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स (29,200-92300 रु.) के स्तर 5 के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह् वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। अगली उच्चतर श्रेणी प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** (1) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण– अध्यक्ष, (2) संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य, (3) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य, और (4) उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. परियोजना मूर्तिकार	1* (2020) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर- 7 (रु. 44,900-142400/- रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: स्तर-6 (35400-112400/- रु. के वेतनमान) में ऐसे वरिष्ठ मूर्तिकार जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिसके पास मूर्ति बनाने आदि में दो से चार सप्ताह का सेवाकालिक प्रशिक्षण लिया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम है, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. अपर महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण -अध्यक्ष 2. संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण -सदस्य 3. निदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण -सदस्य 4. उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[सं. 3-5/2019-योजना एवं एचआरडी (आरआर)]

पी.जी. कलाधरन,निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

New Delhi, the 31st August, 2020

G.S.R. 125.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Archaeological Survey of India (Class III – Non-gazetted posts) Recruitment Rules, 1968 in so far as it relates to the post of Senior Modeller and the Archaeological Survey of India (Group 'A and 'B' Gazetted posts) Recruitment Rules, 1967 in so far as it relates to the post of Project Modeller, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Modeller and Project Modeller in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Senior Modeller and Project Modeller (Group 'B' posts), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. — The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc. —The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

4. Disqualification. — No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or Non-Selection Post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Modeller	4*(2020) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted Non-Ministerial	Level – 6 (Rs.35400-112400)	Selection post	Not exceeding thirty years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct Recruits will apply in case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Bachelor of Fine Arts (Sculpture) from recognised University or Institute. **Desirable** Two years experience in moulding or sculpture work in a Central or State Government department. **Note: 1.** Qualifications are	Age: No Educational qualification: No	Two years	75% by Direct Recruitment; 25% by Promotion failing which Deputation including Short Term Contract.

relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note: 2.** The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public service commission to be consulted in making Recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Modeller Grade I in Level-5 (Rs.29200-92300) with six years regular service in the grade and having successfully undergone in-service training of a duration of two to four weeks in sculpture making etc. **Deputation (Including Short Term Contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or Recognised University or Institute or Research Institution:- (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in Level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits in Column-7 of the schedule. **Note 1:** Where juniors who have	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Additional Director General Archaeological Survey of India – Chairman; 2. Joint Director General (Archaeology), Archaeological Survey of India – Member; 3. Director (Administration), Archaeological Survey of India -Member; and 4. Deputy Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) consisting of:** 1. Additional Director General Archaeological Survey of India – Chairman; 2. Joint Director General (Archaeology), Archaeological Survey of India – Member; 3. Director (Administration), Archaeological Survey of India – Member; and 4. Deputy Director (Administration), Archaeological Survey of India – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications. **Note 4:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Project Modeller	1*(2020) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Level-7 (Rs.44900-142400)	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Senior Modeller in Level-6 (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade and have successfully undergone in-service training of a duration of two to four weeks in sculpture making etc. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of;** 1. Additional Director General Archaeological Survey of India -Chairman 2. Joint Director General (Archaeology), Archaeological Survey of India -Member 3. Director (Administration), Archaeological Survey of India -Member 4. Deputy Director (Administration), Archaeological Survey of India -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[No.3-5/2019-Plg & HRD (RR)]

P.G. KALADHARAN, Director (Admn.)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, (समूह-III अराजपत्रित पद), भर्ती नियम, 1968 तारीख 15 जून, 1968 को जहां तक उसका संबंध फोटोग्राफर ग्रेड-। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह II, अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1973 तारीख 16 नवम्बर 1973, ज्येष्ठ फोटोग्राफर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह I और II राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 और फोटो अधिकारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, फोटो अधिकारी और ज्येष्ठ फोटोग्राफर के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, फोटो अधिकारी और ज्येष्ठ फोटोग्राफर (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : इन नियमों के उपबंध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में **स्तर** वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. फोटो अधिकारी	*7 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (रु. 44,900-1,42,400)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:-** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स (रु. 35,400-1,12,400) के स्तर 6 में ऐसे ज्येष्ठ फोटोग्राफर जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने पुरातत्व संबंधी फोटोग्राफी में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा के अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार होगी:-** (1) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष (2) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य (3) निदेशक (अन्वेषण एवं उत्खनन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ फोटोग्राफर	*38 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400,1,12,400)	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु-सीमा को निर्धारित करने की अंतिम तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ललित कला (फोटोग्राफी) अथवा दृश्य कला और फोटोग्राफी में स्नातक डिग्री अथवा (iii) पुरातत्व या संग्रहालय या सांस्कृतिक विरासत से संबंधित फोटोग्राफी कार्य में चार वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से फोटोग्राफी में डिप्लोमा **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	दो वर्ष **टिप्पण:** दो वर्ष में सीधी भर्ती के लिए दो सप्ताह की अनिवार्य अधिष्ठापन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल होगा।	70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; 30 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

(11)	(12)	(13)
ऐसे फोटोग्राफर श्रेणी – 1 जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (रु.29, 200,-92300) सहित इस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने फोटोग्राफी संबंधी पुरातत्व में दो से चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा के अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर या उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों ; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (रू 29,200-92,300) के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (ख) स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों। प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) की	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अपर महानिदेशक , भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य 3. निदेशक (अन्वेषण एवं उत्खनन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण- सदस्य **विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करके के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य 3. निदेशक (अन्वेषण एवं उत्खनन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।		

[फा. सं. 3-2/2019-प्लानिंग एवं एच.आर.डी.(आर.आर.)]

पी.जी. कलाधरन, निदेशक (प्रशासन)

New Delhi, the 31st August, 2020

G.S.R. **126**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Archaeological Survey of India (Class III – Non-Gazetted Posts), Recruitment Rules, 1968 dated the 15th June, 1968, in so far they relate to the post of Photographer Grade-I, the Archaeological Survey of India (Class II, Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 1973 dated the 16th November, 1973, in so far as they relate to the post of Senior Photographer and the Archaeological Survey of India (Class I and Class II Gazetted posts) Recruitment Rules, 1967 in so far as they relate to the post of Photo Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Photo Officer and Senior Photographer in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Photo Officer and Senior Photographer (Group 'B' posts), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification etc. .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non - selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Photo Officer	*7 (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non- Ministerial.	Level – 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion from amongst Senior Photographer in Level-6 (Rs.35,400-1,12,400) with five years regular service in the grade and having undergone training for duration of two to four weeks in archaeology related photography. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of :-** (1) Additional Director General, Archaeological Survey of India - Chairman; (2) Director (Administration) Archaeological Survey of India - Member; (3) Director (Excavation and Exploration) Archaeological Survey of India - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Senior Photographer	*38 (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level – 6 (Rs 35,400-1,12,400	Selection post	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for

					determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor's degree in Fine Arts (Photography) or Bachelor's degree in Visual Arts and Photography from a recognised university or institution; or (ii) Diploma in Photography from a recognised university or institution with four years experience in photography work related to archaeology or museum or cultural heritage. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years **Note:** The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration for direct recruits.	70% by Direct Recruitment; 30% by promotion failing which by deputation including Short Term Contract.

(11)	(12)	(13)
<u>Promotion</u>: Photographer Grade I in Level-5 (Rs 29,200-92,300) with six years regular service in the grade and having undergone training for duration of two to four weeks in Archaeology related Photography. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (1) Additional Director General, Archaeological Survey of India -Chairman; (2) Director (Administration) Archaeological Survey of India -Member; (3) Director (Excavation and Exploration) Archaeological Survey of India - Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of** (1) Additional Director General, Archaeological Survey of India -Chairman; (2) Director (Administration) Archaeological Survey of India- Member; (3) Director (Excavation and Exploration) Archaeological Survey of India - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **<u>Deputation (including short term contract</u>**: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or recognised universities or research Institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations: (A)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-5 (Rs 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7). The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F. No.3-2/2019-Plg & HRD (RR)]
P.G.KALADHARAN, Director (Admn.)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में अनुसंधान अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, अनुसंधान अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती व नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा **संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछड़े वर्गों,** भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अनुसंधान अधिकारी	29* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन पद	35 वर्ष की आयु। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई

					अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा -जिले के पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-सूचना या भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन या भूमितिकी या भूस्थानिक तकनीक में मास्टर डिग्री और भूगोल या भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान बैचलर डिग्री स्तर पर सभी वर्षों में एक विषय के रूप में अध्ययन किया हो। (ii) भूगोल और मानचित्रकारी शिक्षण या अनुसंधान में जिसके विभिन्न विषयवस्तु पर आंकड़ा संग्रहण और मानचित्रण तैयार करने का भी अंतर्वलित पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** उपर्युक्त अर्हता न रखने वाले परंतु अन्यथा सुयोग्य अभ्यार्थियों के पाए जाने पर कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की	(i) आयु : नहीं; (ii) शैक्षिक अर्हता : नहीं; (इस अनुसूची के स्तंभ (11) में यथाउपदर्शित विस्तार तक)	सीधे भर्ती किए जाने वाले साथ ही साथ प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

जा सकती है । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या भूसूचना या भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन या भूमितिकी या भू-स्थानिक तकनीक में डाक्टरेट ।			

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त् भूविज्ञान या भूसूचना या भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन या भूमितिकी या भूस्थानिक तकनीक में मास्टर डिग्री हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भूस्थानिक तकनीक में दो सप्ताह का अग्रिम प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण:** जहॉं ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां अनके ज्येष्ठ	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य 3. संबद्ध संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य 4. निदेशक या संबद्ध उप सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 में (53100-167800 रु.) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु.) या समतुल्य में दो वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जो स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	2. संबद्ध संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य 3. निदेशक या संबद्ध उपसचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य	

[फा. सं. एस एम/01/12/2017]

अनीता धादरा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 19th August, 2020

G.S.R. 127.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Research Officer) Recruitment Rules, 1989 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology namely;-

1. **Short title and commencement**.— (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Research Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix**.—The number of the said post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.** .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.—No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other Special Categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post/non-selection post	Age-limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer	29* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level- 10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)	Selection post	35 years of age. Relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,

					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualifications: (i) Masters Degree in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or Geographical Information System and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University or institute and having studied Geography or Geology or Applied Geology as a subject in all the years at bachelors degree level. (ii)Five years experience in Geographical and Cartographical teaching or research involving collection of data and preparation of maps on various themes. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **Desirable:** Doctorate in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or Geographical Information System and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University or institute.	(i) Age: No (ii) Educational Qualification: No (To the extent as indicated in column (11) of this Schedule).	One year for direct recruits as well as promotees.	67 percent by direct recruitment and 33 percent by promotion failing which by deputation (Including short term contract).

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Scientific officer in Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years of regular service in the grade and having masters degree in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or Geographical Information System and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University or institute and having successfully completed two weeks of advance training in geospatial technology from any recognized institution. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years. Whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** officers of Central Government or State Governments or Union Territories or autonomous or statutory organizations or public sector undertakings or recognized Universities or research institutions: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in level-8 in the Pay Matrix (Rs.47600-151100) or level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Chairman or Member of the Union Public Service Commission -Chairman (2) Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member (3) Joint Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member (4) Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member **Group 'A' Departmental Promotion Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation - Chairman (2) Joint Secretary concerned, Department of Science & Technology - Member (3) Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science & Technology - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications. **Note 3:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F.No.SM/01/12/2017]

ANITA DHADRA,Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 128 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1989 (ii) राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन, वरिष्ठ भौगोलिक सहायक और कनिष्ठ भौगोलिक सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 1999, जहाँ तक कि वे वरिष्ठ भौगोलिक सहायक के पद से संबंधित हैं और (iii) राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (वैज्ञानिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1989, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन में अनुसंधान सहायक और वैज्ञानिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नामविज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, अनुसंधान सहायक और वैज्ञानिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे*

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4)में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा,अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूचीके स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता, -**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हैं या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा **संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.अनुसंधान सहायक	200* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख',अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400रु.)	चयन पद	30 वर्ष की आयु। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी। **टिप्पण 2:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-सूचना या भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन या भूमितिकी या भूस्थानिक प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री स्तर पर सभी वर्षों में भूगोल या भू-विज्ञान या व्यवहारिक भू-विज्ञान में एक विषय के रूप में अध्ययन किया हो। (2) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शिक्षण या वैज्ञानिक या मानचित्रकला या भौगोलिक संस्थान या संगठन से मानचित्रों और भू- स्थानिक प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान या तैयारी में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** उपर्युक्त अर्हता न रखने वाले परन्तु अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के पाए जाने पर, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए	आयु- नहीं शैक्षिक अर्हता- नहीं	दो वर्ष	(i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर मानचित्रण और भौगोलिक सूचना प्रणाली में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा या कंप्यूटर मानचित्रण और भौगोलिक सूचना प्रणाली में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300 रु.) में ऐसे कनिष्ठ भौगोलिक सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलापूर्वक पूरा किया हो **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वाशासी या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क)(i)जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में (29200-92300रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख)जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -अध्यक्ष; 2. सम्बद्व निदेशक या उपसचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य; 4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य। **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -अध्यक्ष; 2. सम्बद्व निदेशक या उपसचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य; 4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:-** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वैज्ञानिक अधिकारी	31* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ऐसे अनुसंधान सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-सूचना या भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन या भूमितिकी या भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री रखता हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार **किया** जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध मे विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -अध्यक्ष; 2. सम्बद्ध निदेशक या उप सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य; 4. उप-निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एस एम/02/07/2018]

अनीता धादरा, अवर सचिव

New Delhi, the19th August, 2020

G.S.R. 128 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Research Assistant) Recruitment Rules, 1989 (ii) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Senior Geographical Assistant and Junior Geographical Assistant (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1999, in so far as they relate to the post of Senior Geographical Assistant and (iii) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Scientific Officer) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Assistant and Scientific Officer, in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Research Assistant and Scientific Officer (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc. .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or Non selection post	Age-limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Research Assistant	200* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group- ‘B’	Level – 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400)	Selection post	30 years of age. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note1:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (1) Masters degree in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or Geographical Information System and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University or institute and having studied Geography or Geology or Applied Geology as a subject in all the years at bachelor's degree level. (2) At least one year experience in research or preparation of maps and geospatial technologies in a Government recognised research or teaching or scientific or cartographic or geographic institute or organisation. **Note1**: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note2**: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **Desirable:** Certificate or diploma in Computer Mapping and Geographical Information System from a recognised University or institute or at least one year experience in Computer Mapping and Geographical Information System.	Age :No Educational Qualification :No	Two years	(i) 80 percent by direct recruitment. (ii) 20 percent by promotion failing which by deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Geographical Assistant in level 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with six years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks of training in Geospatial Technology from Government recognised institute. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions. (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in level 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300); and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note1**: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note2**: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed three years. **Note3**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application. **Note4**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1.Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Chairman; 2.Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member; 3.Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member; 4.Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1.Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Chairman; 2.Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member; 3.Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member; 4.Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientific Officer	31* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Group-'B', Gazetted	Level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400)	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100 percent by promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Research Assistant in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade and possessing Masters Degree in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or Geographical Information System and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University or institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1.Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Chairman; 2.Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology -Member; 3. Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Member; 4.Deputy Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No.SM/02/07/2018]
ANITA DHADRA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA